उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

7/10/22 पत्रावली पेश। अनुसार [illegible] खसरा नं. 4,8,9
के अभिलेख में मौजूद रास्ता [illegible] निवेदन
किया कि तहसीलदार के द्वारा निशानदेही रिपोर्ट दिनांक
7/9/2022 प्रस्तुत की है अनुसार [illegible] मौके पर
अनुसार [illegible] नहीं हुआ तथा आना-जाना ही निशानदेही
रिपोर्ट [illegible] [illegible] अतः तहसीलदार के द्वारा
निशानदेही रिपोर्ट खारिज किया जाकर उक्त निशानदेही
रिपोर्ट [illegible] जाना प्रार्थनीय है। [illegible]
[illegible] किया कि द्वारा निशानदेही रिपोर्ट प्रस्तुत किये
के अनुसार ही है तथा [illegible] जारी किया जाना
प्रार्थनीय है। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन
किया गया। अवलोकन करने पर पाते हैं कि [illegible]
[illegible] के निशानदेही रिपोर्ट [illegible] आ चुकी है इस
विवेचना व अवलोकन के आधार पर खसरा नं 4,8,9 का
मौजूद रास्ता खारिज किया जाता है तथा
तहसीलदार के द्वारा निशानदेही रिपोर्ट दिनांक 7/9/22
को स्वीकार किया जाता है तथा दिनांक 7/9/22
के द्वारा निशानदेही रिपोर्ट को [illegible] किया
जाता है। पत्रावली [illegible] दर्ज रजिस्टर हो
कर हो व [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 16:30:09 IST
Reason: SelfAttested

7/10/22
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)